न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–1, तिजारा
जिला–खैरथल तिजारा, राज.

पीठासीन अधिकारी : अरूण गोदारा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या : 12/2024
(CIS No-cr.rev. 51/2023)

असरा खान उम्र करीब 65 साल पुत्र निवाज खां निवासी ग्राम बाई थाना/तहसील तिजारा जिला अलवर, राज.

.....निगराकार

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक

.....अप्रार्थी/गैरनिगराकार

"दांड़िक निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28.06.2023 न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं–1 तिजारा जिला खैरथल तिजारा

उपस्थित :–

1. श्री जाकिर हुसैन, विद्वान अधिवक्ता निगराकार की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, रेस्पो. सं 1 की ओर से।

–:आदेशः– **दिनांकः– 03.06.2026**

1. इस आदेश द्वारा न्यायालय में लंबित उपरोक्त निगरानी याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। यह निगरानी याचिका दिनांक 04.07.2023 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2 तिजारा (जिसे आगे विचारण न्यायालय से संबोधित किया जा रहा है) के समक्ष प्रस्तुत की गयी। निगरानी विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2023 (जिसे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जा रहा है) से व्यथित होकर निगरानीकर्ता असरा खान, जिसे आगे परिवादी कहकर संबोधित किया जा रहा है। उक्त निगरानी दिनांक 09.07.2024 को माननीय जिला एवं सेशन

न्यायाधीश खैरथल तिजारा के आदेशानुसार अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रकरण की परिवादी द्वारा एक परिवादपत्र विचारण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 323, 342, 343, 365, 392, 354, 354बी, 384, 447, 451, 452, 427,166, 167, 506, 120–बी भादंसं डीएसटी टीम के सदस्यों व डीएसटी टीम प्रभारी भिवाडी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वह ग्राम बाई अलवर का निवासी है, जिसके पुत्र अरसद के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा था। दिनांक 22.05.2023 को वह अपनी दुकान पर चला गया एवं दिन के करीब 12 बजे आरोपीगण उसके घर पर जबरन घुस गये और उसके घर पर लगे सीसीटीवी. कैमरे तोड दिये व गंदी–2 गालियां दी, उसके घर की औरतों ने गालियां देने से मना किया तो उसकी पत्नी, पुत्री, पुत्र–वधुओं के साथ थप्पड–मुक्कों से मारपीट की व उसकी पत्नी के कपडे फाड दिये व उसे नग्न कर दिया एवं उसके पुत्र को मारपीट कर बिना वारण्ट गिरफ्तार कर गाडी में पटककर अपने साथ ले गये। उक्त पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी ने अपने मोबाइल में उक्त घटना का वीडियो बनाया। परिवादपत्र में यह वर्णित है कि आरोपीगण की समस्त कारगुजारी प्रार्थी के घर में लगे दूसरे सीसीटीवी. कैमरे में रिकार्ड हो गयी, जो रिकार्डिग परिवादी के पास है। परिवादी के घर की एक औरत के द्वारा जयपुर कण्ट्रोल रूम में सूचना दी गयी, जिसके उपरांत पुनः पुलिसकर्मी उसके घर पर आये और उसके व उसके पुत्र मुरसलीम के साथ मारपीट की और उसे व उसके पुत्र को गाडी में पटककर ले गये। साथ ही उसके पुत्र व उसके विरूद्ध एक मुकदमा दर्ज कर लिया। परिवाद में यह वर्णित है कि प्रार्थी के क्रेटा वाहन को डीएसटी की टीम अपने साथ कोटकासिम ले गयी व झूठा 207 एम वी एक्ट का मुकदमा बना दिया और उसके पुत्र अरसद के साथ अभिरक्षा में मारपीट की गयी, जिससे हथकडी उसके हाथ में फंस गयी। डीएसटी. टीम के प्रभारी व कृष्ण ने उससे, उसके पुत्र अरसद का मुकदमा हल्का करने एवज में एक लाख रूपये मांगे, जिसपर उसके पुत्र ने 70 हजार रूपये कृष्ण को दे दिये, जिसकी रिकार्डिग भी उसके पुत्र जावेद के पास है। परिवादपत्र में यह वर्णित है कि तदुपरांत प्रार्थी के वाहन क्रेटा को गलत तौर पर मोठूका स्टैण्ड पर दिखाकर धारा 38 पुलिस एक्ट का मुकदमा बना दिया एवं पुलिस कर्मी कृष्ण ने प्रार्थी के पुत्र मुरसलीम व जावेद से संपर्क कर कहा कि उनकी माता की नग्न वीडियो उसके पास हैं, यदि उन्होंने कोई कार्यवाही करने की कोशिश की तो वह उसकी माता का नग्न वीडियो सार्वजनिक कर देगा व परिवार को बदनाम

कर देगा। जिसपर प्रार्थी के पुत्रान ने कृष्ण को विश्वास में लेकर वह वीडियो अपने मोबाइल में ले ली, जिसके उपरांत प्रार्थी द्वारा कार्यवाही किये जाने पर सभी मुलजिमान उसकी दुकान पर दिनांक 12.06.2023 को आये एवं उसे मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया, जो घटना उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया.....इत्यादि।

3. उक्त परिवादपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परिवादपत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने हेतु धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत संबंधित पुलिसथाना में भिजवाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण को धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत न भिजवाकर प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस के दौरान कथन किये कि परिवादी के पास घटनाक्रम की पूर्ण वीडियो फुटेज हैं एवं आरोपीगण का कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कथन किये कि न्यायिक दृष्टांत ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि संज्ञेय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए। अतः उन्होंने विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिये जाने का निवेदन किया कि वे प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत सक्षम थाने में भिजवायें।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि–सम्मत होना बताया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए सम्मानित न्यायिक दृष्टांत ललिता कुमारी के प्रकाश में इस प्रकरण का इस प्रकार से है किः–

6. प्रकरण के परिवादी ने यह जाहिर किया है कि उनके पास घटनाक्रम के समस्त वीडियोफुटेज हैं। प्रकरण में परिवादी के प्रकरण के समस्त गवाहान उसके परिजन होना प्रकट होते हैं तथा घटना को काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरांत अब प्रकरण को धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत भिजवाये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस न्यायालय के विनम्र मत में किसी भी प्रकरण का परिवाद प्रस्तुत होने के उपरांत विचारण न्यायालय के समक्ष दो विकल्प उपलब्ध होते हैं, प्रथम–या तो वह प्रकरण को धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान हेतु सक्षम थाने को भिजवाये अथवा द्वितीय– स्वयं उक्त परिवाद की जांच अन्तर्गत धारा 200, 202 सीआरपीसी.के करे। हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा वीडिओफुटेज सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है एवं

गवाहान के बयान भी सक्षम न्यायालय के समक्ष करवाये जा सकते हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैद्यता, अशुद्धता या अनुचितता होना प्रकट नहीं होता। इस न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

–आदेश–

7. परिणामतः निगरानीकार असरा खान की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाकर विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश 28.06.2023 की पुष्टि की जाती है। विचारण न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवायी जाये।

(अरूण गोदारा)

आदेश आज दिनांक **03.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(अरूण गोदारा)